राजस्थान सरकार

न्याय विभाग

क्रमांकः प.2(3) बैठक/न्याय/2022 जयपुर, दिनांक 16.12.2022

जिला कलक्टर,
(जिला नोडल अधिकारी,लाईट्स)

विषयः—न्यायिक प्रकरणों के संबंधित जिलों में अंतरण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

लाईट्स सॉफ्टवेयर में विभिन्न विभागों के राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर के ऐसे प्रकरण जो कि संबंधित जिलों में दर्ज न होकर जयपुर एवं जोधपुर जिलें में दर्ज है, को संबंधित जिलों में अंतरण करने हेतु प्रशासनिक विभागों/निगमों की बैठक दिनांक 07.09.2022 व 24.11.2022 को आयोजित की गयी तथा दिनांक 12.09.2022 व पत्र दिनांक 27.09.2022 (स्कूल शिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम व खान एवं पेट्रोलियम विभाग), स्मरण पत्र दिनांक 17.10.2022, 02.11.2022 व 12.12.2022 (स्कूल शिक्षा विभाग, आयुर्वेद विभाग व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम) तथा शेष विभागों/संगठनों को 03.11.2022, 25.11.2022 एवं 12.12.2022 लिखे गये एवं दिनांक 12.09.2022 के पत्र की समस्त जिला नोडल अधिकारियों को प्रतिलिपि प्रेषित की गयी थी।

विभागों/निगमों द्वारा न्यायिक प्रकरणों को संबंधित जिले में अंतरण का कार्य किया जा रहा है तथा जिले में पदस्थापित विभागों/निगमों के वरिष्ठतम अधिकारी संबंधित जिले के जिला कलक्टर/जिला नोडल अधिकारी द्वारा आयोजित बैठक में उपस्थित होकर प्रकरण की प्रगति से अवगत कराने हेतु प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों को अनुरोध किया जा चुका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अंतरित किये गये न्यायिक प्रकरणों की भी समीक्षा करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का श्रम करें।

भवदीय

-Sd-

शासन विशिष्ट सचिव

प्रतिलिपिः—अतिरिक्त मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन विशिष्ट सचिव